न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/270/2017

उनवान

1. श्रीमती बिस्मिला पत्नी मांगू खॉ
2. अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार पुत्र मांगू खॉ निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. मैना पुत्री मांगू खॉ पत्नी शरीक मोहम्मद निवासी बनेड तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. मुन्नी पुत्री मांगू खॉ पत्नी रमजान निवासी बनेड तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. जुले खॉ पुत्री मांगू खॉ पत्नी कालू मोहम्मद निवासी हुरड तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. नसीर पुत्र लाल खॉ निवासी स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा
2. गफूर पिता लाल खॉ (फौत) के कायम मुकाम –
   2/1 श्रीमती हुसैन पत्नी गफूर खॉ
   2/2 बरकत अली पुत्र गफूर खॉ
   2/3 सलीम मोहम्मद पुत्र गफूर खॉ
   2/4 शहनाज बानो पुत्री गफूर खॉ
   2/5 टीना पुत्री गफूर खॉ निवासी स्वरूपगंज तहसी व जिला भीलवाडा
3. रज्जाक खॉ पिता लाल खॉ (फौत) के कायम मुकाम –
   3/1 श्रीमती जुबेदा बानो पत्नि रज्जा खॉ
   3/2 रफीक मोहम्मद उर्फ फयूम पुत्र रज्जाक खॉ निवासी स्वरूपगंज भीलवाडा
   3/3 नूरजॉ बानो पुत्री रज्जाक खॉ पत्नी रियाज खॉ पठान निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा
   3/4 समॉ बानो पुत्री रज्जाक खॉ पत्नि कालू मोहम्मद निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. सुबान खॉ पिता रमजू खॉ (फौत) कायम मुकाम –
   4/1 श्रीमती रईसा पत्नी सुलतान खॉ पुत्री सुबान खॉ निवासी हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा
   4/2 बाबू पुत्र सुबान खॉ निवासी स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा
5. पीरू पुत्र रमजू खॉ निवासी स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा
6. कमरू पुत्र रमजू खॉ निवासी स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा
7. हाजरा बनो पुत्री चांद खॉ निवासी स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा
8. शफी मोहम्मद पुत्र मांगू खॉ निवासी हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 14/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5..2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री मेहराज अली , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री सबदर अली, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पति, पिता /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के शामलाती खातेदारी की आराजियात मौजा स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है । (अ) नसीर खॉ, गफूर खॉ, रज्जाक खॉ पिता लाल खॉ , सुबान पीरू, कमरू पिता रमजु जहुरी बेवा रमजु मुसलमान के नाम खाता संख्या 58

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के आराजी नम्बर 382 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 397 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 398 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 399 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 400 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 404 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 405 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 713 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा आराजी नम्बर 845/404 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 849/401 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा स्थित है । (ब) आराजी नम्बर 383 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा आराजी नम्बर 394 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। आता चाह नम्बर 381 रकबा 02 बिस्वा मौजा स्वरूपगंज में वादी एवं प्रतिवादी नसीर खॉ, गफूर खॉ, रज्जाक खॉ एवं प्रतिवादी सुबान खॉ, पीरू, कमरू, जहुरी एवं प्रतिवादी हाजरा बनों का शामलाती है । उक्त आता चाह में वादी एवं प्रतिवादी नसीर खॉ, गफूर खॉ, रज्जाक खॉ का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सुबान खॉ, पीरू, कमरू, जहुरी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी हाजरा बनों का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का सजरा निम्नानुसार है :—

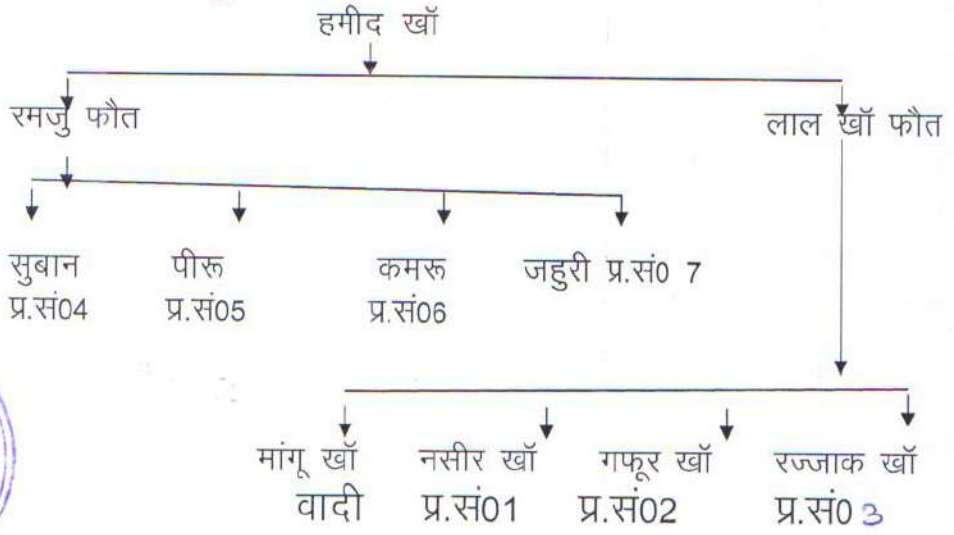

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. उपरोक्त (अ) में वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजियात है जो कि मौरूसी होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बाप दादाओं के समय से चली आ रही है उक्त सभी सहस्वामी होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वाद पत्र के कलम (अ) में वर्णित आराजिया तमे श्री हमीद खॉ की जमीन में 1/2 हिस्सा लाल खॉ का एवं 1/2 हिस्सा रमजु खॉ का है। लाल खॉ की मृत्यु के बाद वाद पत्र की कम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में लाल खॉ के 1/2 हिस्से में से वादी मांगू का 1/8 प्रतिवादी नसीर खॉ का 1/8 प्रतिवादी गफूर खॉ का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी रज्जाक खॉ का 1/8 हिस्सा है एवं मृतक रमजू खॉ के 1/2 हिस्से में उसके वारिस प्रतिवादी सुबान खॉ का 1/8 , पीरू का 1/8, कमरू का 1/8, एवं जहुरी का 1/8 हिस्सा है और इसी हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

3. इसी प्रकार कलम संख्या (ब) में वर्णित आराजी नम्बर 383 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 394 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा स्व0 लाल खॉ पिता हमीद खॉ के खाते में अंकित थी और लाल खॉ जी के जीवन काल में ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से इस भूमि पर कब्जा था एवं लाल खॉ की मृत्यु के बाद इंतकाल नम्बर 167 दिनांक 14. 6.89 से विरासत से लाल खॉ के बजाय लाल खॉ के पुत्र वादी मांगू खॉ एवं प्रतिवादी नसीर खा, गफूर खॅ व रज्जाक खॉ का नाम दर्ज हुआ। इन आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नसीर खॉ का 1/4 हिस्सा एवं गफूर खॉ का 1/4 हिस्स एवं रज्जाक खॉ का 1/4 हिस्सा है और इसी हिस्से अनुसार शामलात में काश्त करते चले आ रहे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हैं। उपरोक्त आराजियात में वर्णित हिस्से अनुसार वादी मांगू खॉ सन् 1997 तक बराबर अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा था और सन् 199 के बाद वादी मांगू खॉ ने अपना हिस्सा कभी निसार खॉ को सिजारे पर काश्त के लिए दिया तो कभी गफूर खॉ को एवं कभी रज्जाक खॉ को सिजारे पर काश्त पर दिया । मक्का व ज्वार की फसल वादी कभी आवगी भी काश्त करवाता था तथा बकाया गैहूँ वगैरह की फसल सिजारे पर दे देता थ। जनवरी 2003 में प्रतिवादी नसीर खॉ, गफूर खॉ, रज्जाक खॉ ने वादी से मौखिक निवेदन किया कि वादी के हिस्से पर तीनों संयुक्त रूप से सिजारे पर काश्त करेंगे और जो भी फसल पैदा होगी उसका आधा हिस्सा वादी को दे देगे और इस प्रकार वादी बराबर अपने हिस्से की फसल उक्त प्रतिवादीगण से लेता चला आ रहा है। वादी ने जून 2006 में उक्त प्रतिवादी नसीर खॉ, गफूर खॉ व रज्जाक खॉ को वादी के हिस्से पर सिजारे से काश्त करने से इंकार कर दिया तथा स्पष्ट कहा कि जो इजाजत वादी ने काश्त की दे रखी थी वह निरस्त की जाकर वादी स्वंय अपने हिस्से पर पूर्ववत काश्त करेगा। तो प्रतिवादीगण लडाई झगझे पर आमादा हुए और कहा कि वादी को हिस्सा फलस नहीं देंगे तथा वादी को उसके हिस्से पर काश्त भी नहीं करने देंगे। इस पर वादी ने रेवेन्यू रिकार्ड की नकलें ली तो चालू खाते में वादी का नाम जमाबंदी में अंकित नहीं होना पाया गया ।

4. संवत 2042 से 2045 तक की जमाबंदी में उक्त आराजियात लाल खॉ रमजू खॉ पिता हमीद खॉ के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त आराजी नम्बर 383, 394 संवत 2042 से 2045 की जमाबंदी में लाल खॉ के नाम दर्ज है। परन्तु चालु जमाबंदी में वादी का नाम शामलाती खाते में दर्ज नहीं है। प्रतिवादी नसीर खॉ, गफूर खॉ, व रज्जाक खॉ ने बेईमानी पूर्वक रेवेन्यू कर्मचारियों से मिलकर वादी का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम हटा दिया । जबकि वादी ने अपना हिस्सा उक्त प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को भी आज तक रहन, बय, बक्षी व दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं किया । वादी ने अपना हिस्सा उक्त प्रतिवादीगण या अन्य पक्ष में कोई सरेण्डर व समर्पित नहीं किया है और कोई विधि अनुरूप दस्तावेज भी निष्पादित नहीं किया गया है। वादी का नाम रेवेन्यू रिकार्ड से हटाने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है।

5. यदि प्रतिवादी नसीर खॉ, गफूर खॉ, व रज्जाक खॉ ने कोई फर्जी व साक्ष्य में अग्राह्य दस्तावेज तैयार कर उन पर वादी के फर्जी हस्ताक्षर कर वादी का नाम रेवेन्यू रिकार्ड से हटाया है तो उक्त दस्तावेज व उक्त आदेश वादी के हितों के मुकाबले प्रभावशून्य एवं वोईड है और वादी ऐसी लिखापढी व आदेश से पाबन्द नहीं है । वादी कलम (अ) एवं (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजियात एवं आता चाह नम्बर 381 का संयुक्त काश्तकार है। सहकाश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की कलम संख्या (अ) एवं (ब) में वर्णित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा नहीं हुआ है तथा उक्त शामलाती आराजियात पर 17 आम के पैड व अन्य नीम के पेड है। वह भी वादी के शामलाती है। उक्त वृक्षों का भी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा नही हुआ है। उक्त 17 आम के पेडों का हिस्से अनुसार वादी फल प्राप्त करता चला आ रहा है। वर्ष 2006 तक आम के फलों का हिस्सा व कृषि भूमि पर हुई उपज का हिस्सा वादी प्राप्त करता चला आ रहा है।

6. अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या (अ) में वर्णित आराजियात में वादी का 1/8 हिस्से एवं वाद पत्र की कलम संख्या ब में वर्णित आराजियात में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी का 1/4 हिस्सा तथा आता चाह नम्बर 381 मे वादी का 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त आराजियात वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जाये।

7. वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र की कलम संख्या (अ) में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का 1/8, 1/8 हिस्सा तथा वाद पत्र की कलम संख्या (ब) में वर्णित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा बंटवाडा कराया जाकर अलग अलग खातेदारी व लगान कायम किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराया जाकर मौके पर इसी अनुरूप कब्जा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का हिस्से अनुसार अलग अलग कब्जा दिलाये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

8. वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि उक्त आराजियात में वादी के हिस्से अनुसार वादी के सहकाश्त की हैसियत से उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले एवं बाद बंटवाडा वादी के हिस्से में जो कृषि भूमि आवे उसमें वादी के कब्जे व खातेदारी व उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र राजीनामा हो जाने से खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

10. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तत्समय अपीलार्थीगण को जानकारी नहीं हो पाई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का कैम्प कोर्ट में राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी गई एवं न ही अधिवक्ता द्वारा ही इसकी जानकारी दी गई है। जब अपीलार्थीगण ने स्वयं न्यायालय मे जाकर जानकारी की तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते हुए अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कयासी होने एवं विधि विरूद्ध होने तथा वाद पत्र के तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि केम्प कोर्ट स्वरूपगंज में अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से राजीनामा बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही कोई राजीनामा ही किया है । अपीलार्थीगण/वादीगण कैम्प कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए थे। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार बनाक मनमकसूद तरीके से वादी के वारिसान एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझौता हो जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का तथ्य अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कैम्प कोर्ट स्वरूपगंज में केवल मात्र अपीलार्थी वादीगण अब्दुल जब्बार व बिस्मिल्लाह उपस्थित हुए थे जिन्हें केम्प कोर्ट में उपस्थित होने की कहकर हस्ताक्षर करवाये गये थे और कोई राजीनामा तथा किसी प्रकार की सुलह की कार्यवाही नहीं की गई थी जो अपीलार्थीगण/वादीगण उपस्थित हुए थे जो केवल हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगाना जानते है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण में से केवल मात्र अब्दुल जब्बार व बिस्मिल्लाह उपस्थित हुए थे और रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण में से केवल मात्र नसीर खॉ उपस्थित हुआ था उक्त पक्षकारान से उपस्थिति के बाबत हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी ली गई थी जबकि अन्य पक्षकारान कैम्प कोर्ट मे उपस्थित ही नहीं हुए थे और न ही कोई राजीनामा या समझाईश ही हुई थी। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है और स्व0 लाल खॉ जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। लाल खॉ जी के फौत होने के पश्चात उक्त वर्णित आराजियात विरासत से लाल खॉ जी के पुत्र मांगू खॉ नसीर खॉ , गफूर खॉ व रज्जाक खॉ को प्राप्त हुई है लेकिन प्रतिवादी नसीर खॉ , गफूर खॉ व रज्जा खॉ ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपीलार्थी/वादीगण के पिता मांगू खॅ का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा दिया जबकि विरासतनअपीलार्थी वादीगण को भी हक अधिकार प्राप्त होते हैं।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि किसी भी अचल सम्पति का हस्तान्तरण ट्रांसफर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एवं पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार निष्पादित विलेख के द्वारा ही किया जा सकता है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट एवं राजस्व कर्मचारियों ने मिलाभगती कर फेक एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बिना किसी विधिक प्रावधानों की पालना एवं समुचित सुनवाई किये बिना ही अपीलार्थी / वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया है जो विधि अनुसार कतई सम्मत नहीं है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भी प्रकरण संख्या 1461 / 2014 की निगरानी पेश कर रखी है और अपने जायज हकों के लिए चाराजोही कर रखी है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी राजीनामा एवं बिना किसी हक अधिकार के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने की कोई जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी एवं न ही अधिवक्ता द्वारा ही अपीलार्थी को कोई जानकारी ही दी गई। अपीलार्थीगण न्यायालय के चक्कर लगाते रहे एवं अधिवक्ता ने तारीख पेशी बदलने की कहा व तारीख पेशी नहीं बताई । तब मजबूर होकर अपीलार्थीगण ने नकल हेतु आवेदन किया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय में नसीर खॉ एवं अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने आपसी सहमति से राजीनामा कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

20. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता को नियुक्त किया था। उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण की सहमति से अपीलाधीन निर्णय को राजीनामे के आधार पर निस्तारित करवाया था। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण में से जब्बार एवं बिस्मिल्ला ने सहमति / राजीनामा स्वरूप हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी लगाई थी। राजीनामा प्रपत्र पर भी हस्ताक्षर किये थे। उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

21. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

22. अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के पिता मांगू पिता लाल खॉ द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। दौराने विचारण वाद अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु होने पर अपीलार्थीगण / वादीगण को कायम मुकाम दर्ज किया गया।

23. अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध होने के उपरान्त प्रतिवादगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। उसके उपरान्त प्रकरण तनकियात कायम किये जाने हेतु दिनांक 23.3.2010 को नियत किया गया । प्रकरण तनकियात कायमी में लंबित था । उसी दौरान प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान को कायम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मुकाम दर्ज किया गया । प्रतिवादी संख्या 4/1 व 4/2 की ओर से दिनांक 28.11.2011 को अधिवक्ता मुन्ना खॉ द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया । पूर्व मे प्रस्तुत जवाब दावे को ही रेकार्ड पर लिये माना जाने का निवेदन किया गया । जिस पर प्रकरण को पुनः तनकियात कायम किये जाने में नियत किया गया । दिनांक 8.10.2012 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया । जो वास्ते जवाब व बहस में नियत रहा । दिनांक 9.4.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रकरण को बहस में नियत किया गया। दिनांक 4.6.2013 को वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होने से उनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया । साथ ही सम्मन/नोटिस प्रस्तुत किये । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक वारिसान को सम्मन जारी किये जाने हेतु आदेशित किया गया । प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक वारिसान को तलब किये जाने में लंबित था। उसके उपरान्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई । उसके उपरान्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई एवं प्रकरण में तारीख पेशियॉ नियत की जाती रही । दिनांक 26.10.2016 को आदेशिक में प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान के नोटिस पेश करने एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर बहस हेतु प्रकरण को आगामी दिनांक 16.11.2016 हेतु नियत किया गया ।

24. उसके उपरान्त दिनांक 16.11.2016 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पेशी दिनांक 22.2.2017 नियत की गई । उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.6.2017 नियत की गई। परन्तु दिनांक 7.6.2017 से पूर्व ही प्रकरण को कैम्प कोर्ट स्वरूपगंज में दिनांक 24.5.2017 को रखा गया । दिनांक 24.5.2017 को प्रकरण को कैम्प कोर्ट स्वरूपगंज में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को किसी प्रकार के सूचना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कर सूचित नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में इस बाबत कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है। नियत तारीख पेशी दिनांक 7.6.2017 से पूर्व दिनांक 24.5.2017 को प्रकरण को कैम्प कोर्ट स्वरूपगंज में रखा गया । उक्त पेशी दिनांक को वादीगण में से वादी जब्बार एवं बिस्मिल्ला खॉ की आदेशिका पर अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी जब्बार के हस्ताक्षर है। वादीगण की ओर से बिस्मिल्लाह एवं जब्बार द्वारा तथा प्रतिवादीगण की ओर से नसीर खॉ द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिस पर हस्ताक्षर भी अंकित है। शेष वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहे या नहीं रहे इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.5.2017 में कोई अकन नहीं किया गया है एवं वादी के वारिसान व प्रतिवादीगण के बीच आपस में राजीनामा हो जाने से पत्रावली खारिज किये जाने का अंकन किया गया है। इस आधार पर वाद पत्र को अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया गया है।

25. अपीलाधीन प्रकरण में वादीगण श्रीमती बिस्मिल्ला खॉ पत्नी मांगू खॉ, अब्दु जब्बार, मैना पुत्री मांगू खॉ, मुन्नी पुत्री मांगू खॉ, एवं जुले खॉ पुत्री मांगू खॉ में से मात्र जब्बार एवं श्रीमती बिस्मिल्ला द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी किये गये हैं। जबकि अपीलार्थीगण का कथन है कि कैम्प कोर्ट में अपीलार्थीगण/वादीगण उपस्थित ही नहीं हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थे एवं कैम्प कोर्ट मे प्रकरण को नियत करने की कोई सूचना भी अपीलार्थीगण / वादीगण को नहीं दी गई थी। अपीलार्थीगण द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

26. अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रकरण को कैम्प कोर्ट स्वरूपगंज में नियत करने की सूचना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को जारी नहीं की गई है। तारीख पेशी दिनांक 24.5.2017 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति का अंकन नहीं किया गया है। उभयपक्ष की तस्दीक किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रकरण प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान को नोटिस जारी कर तलबी में नियत था एवं प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के बहस हेतु नियत था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि लंबित प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णित करते एवं यदि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ भी है तो शेष उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान को जारी नोटिस की तामील होने अथवा नहीं होने के उपरान्त विधिक प्रकिया अपना कर प्रकरण में जवाब दावा उपलब्ध हो जाने से तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करते। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया का पालन नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

27. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें एवं उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना के तहत तैयार करवाया जाकर उसके उपरान्त विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.10.19 को उपस्थित रहें।

28. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)